न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– 2, वैशाली, हाजीपुर ।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या– 322 / 2026

सदर थाना कांड संख्या– 112 / 2026

चुन्नु कुमार बनाम् बिहार सरकार

अंतर्गत धारा– 137(2), 96, 3(5) बी.एन.एस.

Web Copy Not Official

18.03.2026 आवेदक **चुन्नु कुमार** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन दि0 18.03.2026 को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है की आवेदक ने जमानत के लिए किसी भी अन्य न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल नहीं की है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दि0 24.02.2026 से काराधीन है। आवेदक ने वि0 सी.जे.एम. न्यायालय, हाजीपुर में जमानत आवेदन दाखिल किया था जिसे दिनांक– 28.02.2026 को खारिज कर दिया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उचित जमानतदार देने को तैयार है, अतः आवेदक को जमानत दी जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध किया गया है और इसे खारिज करने की प्रार्थना करते है।

सुना। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सूचक शिवचन्द्र आजाद के लिखित आवेदन के आधार पर हाजीपुर सदर थाना कांड संख्या– 112 / 2026 दिनांक– 21.02.2026 धारा– 137(2), 96, 3(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त के साथ सह अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज है, जिसमें अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक– 20.02.2026 को रात्रि 11.50 बजे सूचक की पुत्री स्मिता कुमारी शौच के लिए निकली थी और वापस नहीं लौटी। सूचक द्वारा खोजबीन करने पर पता चला कि चुन्नु कुमार द्वारा उपेन्द्र पासवान, अनिता देवी, मुन्ना कुमार एवं रिषु कुमार के सहयोग से सूचक की पुत्री को बहला–फुसलाकर अपहरण कर लिया गया। सूचक स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सुलह का समर्थन किया है। पीड़िता ने धारा– 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में कथन की है कि मम्मी से झगड़ा करके घर से अकेले भाग कर हाजीपुर के कोनहारा घाट पर रूम रेन्ट ले ली थी और रामाशीष चौक शिफ्ट होने के समय सदर थाना ने इन्हें पकड़ लिया।

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– 2, वैशाली, हाजीपुर ।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या– 322 / 2026

सदर थाना कांड संख्या– 112 / 2026

चुन्नु कुमार बनाम् बिहार सरकार

अंतर्गत धारा– 137(2), 96, 3(5) बी.एन.एस.

WebCopy Not Official

18.03.2026

आवेदक दि0 24.02.2026 से काराधीन है। आवेदक पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अतः आवेदक की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि आवेदक 10,000 / –(दस हजार रूपये) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–480 (3) बी0एन0एस0एस0 की शर्त्तों के अधीन बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में नियमित जमानत पर मुक्त करने आदेश दिया जाता है। आवेदक के दोनों जमानतदारों में से कोई एक उसके निकट संबंधी होंगे तथा आवेदक आरोप गठन के बिन्दू पर सुनवाई के समय तक प्रत्येक तिथि पर विद्वान न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा। विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर उचित पैरवी करेगा तथा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के लगातार दो तिथियों पर उचित पैरवी नहीं करने पर विद्वान विचारण न्यायालय आवेदक का बंधपत्र निरस्त कर सकते है। आवेदक साक्ष्य के साथ कोई छेड़–छाड़ नहीं करेगा।

कार्यालय इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजे।

लेखापित,

प्रभारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश –2

18.03.2026